

# कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक

/जि०यो०-प्र०वि०स्वी०/2024-25

दिनांक

27-07-2024

## कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिषद का परिषद निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14(150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या -07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या - 30 एस०सी०एस०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु डेयरी विभाग पिथौरागढ़ का अनुमोदित परिषद रु० 135.00 लाख के प्रथम किस्त में सहायक निदेशक डेयरी विकास पिथौरागढ़ द्वारा 94.50 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

(घनराशि लाख रु० में)

क्र०स०	मद / योजना का नाम	वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित परिषद			प्रथम किस्त में आवंटित घनराशि		
		सामान्य	एस०सी०एस०पी०	योग	सामान्य	एस०सी०एस०पी०	कुल
	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण						
1	नई दुग्ध समितियों का गठन (प्रथम वर्ष)	6.10	1.52	7.62	6.10	1.52	7.62
2	नई दुग्ध समितियों का गठन (द्वितीय वर्ष)	0.96	0.24	1.20	0.96	0.24	1.20
3	दुग्ध समितियों का पुनर्गठन	3.54	0.54	4.08	3.54	0.54	4.08
4	डी०पी०एम०यू०	6.30	2.70	9.00	6.30	2.70	9.00
5	समिति हेडलोड अनुदान	41.99	4.75	46.74	19.43	4.75	24.18
6	पशु चिकित्सा औषधि	8.20	4.80	13.00	8.20	4.80	13.00
7	पशु डिवर्मिंग	2.50	1.50	4.00	2.50	1.50	4.00
8	आकस्मिक पशु चिकित्सा एवं पर्यवेक्षण यूनिट	13.40	0.00	13.40	9.60	0.00	9.60
9	उपभोक्ताओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम	0.84	0.28	1.12	0.84	0.28	1.12
10	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	4.20	2.10	6.30	0.00	0.00	0.00
11	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	0.90	0.24	1.14	0.00	0.00	0.00
12	दुग्ध कक्ष मरम्मत/जीर्णोद्धार	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
13	विविध व्यय	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
14	दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
15	दुग्ध उपार्जन परिवहन हेतु अनुदान	16.20	6.00	22.20	16.20	4.00	20.20
16	फारमर्स इण्डेक्शन कार्यक्रम	0.91	0.23	1.14	0.00	0.00	0.00
17	स्टाफ प्रशिक्षण मानदेय सहित	0.70	0.10	0.80	0.00	0.00	0.00
	योग	110.00	25.00	135.00	74.17	20.33	94.50

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार सहायक निदेशक डेयरी विकास पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 में उक्त योजना/मद के सम्पादन हेतु सहायक निदेशक डेयरी विकास पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रु० 94.50 लाख (चौरानबे लाख पचास हजार रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

1- उक्त घनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। घनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।

3- स्वीकृत घनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4- उक्त घनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कमश:.....2

- 5- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 6- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया मे अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 7- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 8- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/ आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 9- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 10- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII (7) 32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे।
- 11- अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।
- 12- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 14- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 15- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
- 16- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- 17- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।
- 18- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एकमुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।
19. अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी सहायक निदेशक डेयरी विकास पिथौरागढ़ की होगी।

जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़।

संख्या: 201 / जि0यो0 / प्रा0वि0स्वी0 / 2024-25 तद्दिनांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक निदेशक डेयरी विकास पिथौरागढ़।
2. प्रबन्धक, दुग्ध संघ पिथौरागढ़ को उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु।
3. निदेशक डेयरी विभाग हल्द्वानी नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
6. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग, बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

  
जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025 )

DM Pithoragarh(8009)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-Assistant Director Dairy Development Pithoragarh(2353)

आवंटन पत्र संख्या -  
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H24070070666  
आवंटन पत्र दिनांक-25-JUL-2024

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00--  
102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना  
04-जिला योजना पिथौरागढ़ के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यवस्था

Voted

2	5	1	5	0	0	1	0	2	9	1	0	4
प्रोजेक्ट का नाम					मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग				
P8013161711264:Gramin chhetro me Dugdh sahkaritaon ka sudhrikaran					42-अन्य विभागीय व्यय	0	7417000	7417000				
योग						0	7417000	7417000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.74,17,000 (Rupees Seventy Four Lacs Seventeen Thousand Only)

प्रोजेक्ट का नाम	प्रतिबंध लागत	टी ए सी लागत (निर्माण)	टी ए सी लागत (वसूली)	समायोजित मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
Gramin chhetro me Dugdh sahkaritaon ka sudhrikaran	8200000	0	0	0	0	1609800	1609800

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

अर्थ एवं संख्याधिकारी  
पिथौरागढ़

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक निदेशक  
डेयरी विकास विभाग  
पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जिला योजनान्तर्गत मुख्य मद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (एस0सी0एस0पी0) के संचालन हेतु प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़ का बैंक खाता परिचालित है, खातान्तरण के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की होगी।

1-पत्रांक संख्या-201 / जि0यो0-प्र0वि0स्वी0 / 2024-25 दिनांक: 27 जुलाई, 2024

2-आई0डी0- H24070300374

3-बिल संख्या- 000020

4-डी0डी0ओ0 कोड-2353


5-लेखा शीर्षक-2515001029104

6-मानक मद-42-अन्य विभागीय व्यय

7-अनुदान संख्या-030

8-आवन्तित बजट-रु0 20.33 लाख

9-आहरित बिल की राशि- रु0 रु0 20.33 लाख

  
सहायक निदेशक  
डेयरी विकास, पिथौरागढ़